राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
"कर–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(93)जन/2013/5780-6149 दिनांकः 01-04-2013

1. *अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक),*
   जयपुर।
2. *समस्त उप महानिरीक्षकगण,*
   पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक),
   राजस्थान।
3. *समस्त उप पंजीयकगण,*
   राजस्थान (पूर्णकालीन एवं पदेन)।

विषय : पच्चीस लाख रूपये मूल्य से अधिक मूल्य के कृषि भूमि के दस्तावेजों के पंजीयन हेतु पटवारी की रिपोर्ट की अनिवार्यता के विरोध में ज्ञापन द्वारा श्री अनिल अग्रवाल भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, जोधपुर।

प्रसंग : शासन उप सचिव, वित्त (कर) विभाग का पत्रांक प.2(10) वित्त/कर/2010 दिनांक 19.03.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन उप सचिव, वित्त (कर) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा प्रासंगिक पत्र विभाग को प्रेषित कर स्पष्ट किया है कि संबंधित पटवारी की पंजीयन पूर्व मौका रिपोर्ट के संबंध में राज्य स्तर से जारी परिपत्र क्रमांक प.2(10)वित्त/कर/2010 दिनांक 24.08.2012 द्वारा पटवारी की पंजीयन पूर्व मौका रिपोर्ट प्राप्त करना अनिवार्य नहीं किया गया है। यह पक्षकारों के लिये वैकल्पिक व्यवस्था है। अतः यह सुनिश्चित करावें की उक्त परिपत्र दिनांक 24.08.2012 की आड़ में नियमानुसार प्रस्तुत दस्तावेजों के पंजीयन में कोई रूकावट नहीं हो।

भ व दी य

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(रेणु जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर 28/3/13

क्रमांकः एफ–7(93)जन/2013/6150-151 दिनांकः 01-04-20..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन उप सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, जयपुर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर 28/3/13

F7-93-G